<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

T.S- 7 /2020

अशोक चौधरी

बनाम

देबू शर्मा एवं अन्य

02.09.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है।

वादी की ओर से आदेश–1 नियम–10(2) के अन्तर्गत दिनांक–24.06.2022 को दाखिल आवेदन पर सुनवाई के पश्चात अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं0–10 भोगिया देवी की मृत्यु हो गई है। प्रतिवादी सं0–10 भोगिया देवी के दो पुत्र बिलास शर्मा एवं जवाहर शर्मा है। बिलास शर्मा इस वाद मे पहले से प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाये गये थे, किन्तु जवाहर शर्मा को प्रतिवादी के रूप मे भूलवश पक्षकार नही बनाया गया था। इसी प्रकार संतलाल शर्मा की मृत्यु हो गई थी। संतलाल शर्मा की एक पत्नी एवं चार पुत्र है। संतलाल शर्मा के एक पुत्र रामधारी शर्मा को पक्षकार नही बनाया गया था। जवाहर शर्मा एवं रामधारी शर्मा इस वाद के आवश्यक पक्षकार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त आवेदन को स्वीकृत कर जवाहर शर्मा एवं रामधारी शर्मा को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादी के उक्त आवेदन पर कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से आदेश–1 नियम–10(2) के अन्तर्गत दिनांक–24.06.2022 के आवेदन पर प्रतिवादी के द्वारा आपत्ति नही की गई है। प्रतिवादी को उक्त जवाहर शर्मा एवं रामधारी शर्मा को इस वाद में प्रतिस्थापित करने में कोई आपत्ति नही है।

अतः वादी के दिनांक–24.06.2022 को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वाद–पत्र में प्रतिस्थापन की कार्यवाही करे।

वाद दिनांक–23.09.2022 वास्ते उपस्थिति हेतु।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश